समक्ष-श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, जबलपुर कैम्प

रिवीजन क्र० सन् निग/3686-I-15

कृष्णदत्त तिवारी पिता सूरज प्रसाद तिवारी
उम्र ६३ वर्ष, साकिन निवासी- पुलिस थाना के
पीछे सिहोरा, तह०सिहोरा, जिला जबलपुर
---- रिवीजनकर्ता

553

आर०एस०मिश्रा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
13 OCT 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

नरेश प्रसाद तिवारी पिता सरजू प्रसाद तिवारी
उम्र ६६ वर्ष साकिन मफगवां (पाली) तह० मझौली
जिला जबलपुर (म०प्र०)
---प्रत्यार्थी

रिवीजन अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्नानुसार विनय पेश है :-

विवादित प्रकरण श्रीमान तहसीलदार मझौली तह० मझौली, जिला जबलपुर के आदेश दिनांक १६-८-२०१५ से व्यथित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त रिवीजन समयावधि के अंतर्गत है। 63A/627 13-14 प्रक्र है।

संक्षिप्त तथ्य

प्रत्यार्थी ने इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि यशोदाबाई माँ थी, यशोदाबाई ग्राम मफगवां के ख०नं० १५४ रकबा ०-२३० ख०नं० १५५ रकबा ०-५१० हे० पर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यशोदाबाई ने अपने जीवनकाल में एक व्यवस्था पत्र २०-६-६५ को कर दिया था। और एक खेत अपनी परवरिश के लिये बचा लिया था। उस व्यवस्था पत्र के आधार पर प्रत्यार्थी अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। उसने अंतिम संस्कार यशोदा बाई का किया। यशोदाबाई की मृत्यु ६-७ साल पहले हो गयी है। यशोदाबाई के स्थान पर आवेदक अपना नामदर्ज कराना चाहता है। इस आशय का आवेदन पत्र तहसील मझौली के समक्ष दिया।

अधि आयुक्त समक्ष दिनांक 20 10/15 को प्रस्तुत 20/10/15

रिवीजनकर्ता राजस्व न्यायालय में स्वतः उपस्थित होता था। रिवीजनकर्ता से कहा गया कि वह प्रतिपरीक्षण करें रिवीजनकर्ता प्रतिपरीक्षण करना नहीं जानता और वह सुन्दरलाल मिश्रा से, नंदकिशोर से और नरेश प्रसाद से

--२--

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 3686–एक/2015 जिला–जबलपुर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार मझोली जिला जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 19.08.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **कलेक्टर जिला जबलपुर**	